प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड ह्रास्पिटल,
चकगंजरिया, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 87/2017/5857/71-2-17-के0एस-01/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के क्रम में अवगत कराना है कि सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड ह्रास्पिटल, चकगंजरिया की स्थापना/निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रू0 854.5145 करोड के सापेक्ष अबतक निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा कुल रू0 503.61885 करोड की अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (करोड में)
1	1391/71-2-14-के0एस-01/2014 दिनांक 15-7-2014	07.00000
2	38/2015/1128/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 30-3-2015	31.18500
3	1146/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 31-3-2015	06.54885
4	86/2015/3961/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 20-10-2015	210.78050
5	87/2015/3962/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 29-10-2015	10.60500
6	121/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	189.3945
7	122/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	10.6050
8	87/2017/5857/71-2-17-के0एस-01/2014 दिनांक 15-12-2017	37.5000
	योग-	**503.61885**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से जनपद लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चकगंजरिया की स्थापना हेतु रू0 07,87,50,000/- (रूपया सात करोड सतासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नामित कन्सलटेंट मुकेश एण्ड एसोसिएटेड/सक्षम प्राधिकारी की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/सक्षम प्राधिकारी के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या-88/2017/5885(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
9) स्पीड पोस्ट- मै0 मुकेश एण्ड एसोसिएटेड डिवीजन-2, 2/6 रंगनाथर एवेन्यू, पेरूमा मलाई मेन रोड, नारासाथीपट्टी, सलीम- 636006 (तमिलनाडू)
10) स्पीड पोस्ट- मै0 आर्कोम, सी 28, सेक्टर-8, नोएडा-201301
11) मेसर्स शापूरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
12) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।